प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **03-09-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- थाना सिविल लाईन्स पुलिस द्वारा नशा मुक्ति केन्द्र मे भर्ती युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,मौके से अभियुक्त द्वारा हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल किया बरामद।

अवगत कराना है दिनांक 02.09.2025 को थाना सिविल लाइन्स पुलिस को सूचना मिली की थाना क्षेत्रांतर्गत जीवन उदय नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती एक व्यक्ति की ,वहां भर्ती एक अन्य व्यक्ति द्वारा गला रेतकर हत्या कर दी गई है। सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन्स तथा थाना प्रभारी सिविल लाइन्स द्वारा उच्चाधिकारीगण को सूचना दी गई तथा मौके पर पहुंचे।

जानकारी करने पर पता चला कि दिनांक 02.09.2025 को जीवन उदय नशा मुक्ति केन्द्र केसरी कुन्ज कॉलोनी रामगंगा विहार में भानु प्रताप सिंह पुत्र तेजवीर सिंह निवासी ग्राम जैगुआ खुर्द थाना रज़बपुर जनपद अमरोहा द्वारा इसी केन्द्र पर करीब 20 दिन पहले भर्ती हुए युवक अरुण पटेल पुत्र स्वर्गीय खमानी सिंह निवासी ग्राम चंदूपुर बिचपुरी थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली की अपने कमरे में गला रेतकर हत्या कर दी तथा कमरा बन्द कर खुद भी उसी कमरे में बैठ गया।

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त भानु प्रताप को हिरासत पुलिस में लिया गया तथा मृतक के शव को बाद आवश्यक कार्यवाही के लिये पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. भानु प्रताप सिंह पुत्र तेजवीर सिंह निवासी ग्राम जैगुआ खुर्द थाना रज़बपुर जनपद अमरोहा उम्र 26 वर्ष

विवरण पूछताछ:- अभियुक्त भानु प्रताप सिंह द्वारा पूछने पर बताया कि करीब 10 महीने पहले मेरे परिवार वालो ने मुझे इस नशा मुक्ति केन्द्र मे भर्ती कराया था, मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही थी, मैं नशा मुक्ति केन्द्र से बाहर जाना चाहता था। मैने अपने पापा से भी, मुझे यहाँ से निकालने के लिए कई बार कहाँ था, परन्तु वह मेरी बात नही मानते थे और मुझे पैसे भी नही देकर जाते थे। मैंने 5-6 दिन पहले अरूण पटेल से भी अपने लिए उसके घर से पैसे मंगाने के लिए कहाँ था, परन्तु मेरे कहने के बावजूद भी अरूण भी अपने घर से मेरे लिए पैसे नही मंगवा रहा था। कल भी मेरे पापा मुझसे मिलने नशा मुक्ति केन्द्र आये थे लेकिन मेरे कहने पर भी मुझे पैसे नही देकर गये। जब अरूण पटेल मेरे कमरे मे आया तो मैने अरूण पटेल से भी अपने घर से रूपये मंगाने के लिए कहा तो अरूण पटेल ने भी अपने घर से मेरे लिए रूपये मगांने के लिए साफ मना कर दिया, इस बात पर मुझे अरूण पर

बहुत गुस्सा आया तो मैने गुस्से मे अरूण पटेल के साथ मारपीट की, इसी दौरान खिडकी का कांच टूट गया और मैने कांच का टुकडा उठाकर उससे अरूण पटेल का गला काट कर हत्या कर दी।

बरामदगी का विवरण:-

1. कांच के तीन टुकडे खूनालूदा
2. दो लकडी के टुकडे कत्थई रंग के खून आलूदा
3. 01 लकडी की फट्टी कत्थई रंग की खून आलूदा

पंजीकृत अभियोग:-

- **मु0अ0स0 - 656/2025 धारा 103(1) बीएनएस थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद**

नोट:- अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष सक्सैना थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद
2. निरीक्षक अपराध श्री राजेन्द्र सिंह थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद
3. वरिष्ठ उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद
4. उ0नि0 श्री कुलदीप राणा थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद
5. उ0नि0 सचिन कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद
6. का0 अनिल कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद
7. का0 बाबर थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद

2.थाना मझोला क्षेत्रांतर्गत रेस्टोरेन्ट में हुए झगड़े में फायरिंग करने वाले आरोपी की पिस्टल उठा ले जाने के आरोपी को थाना मझोला पुलिस ने पिस्टल सहित किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है दिनांक 01.09.2025 को वादी बब्बू राणा पुत्र अशोक कुमार राणा निवासी मण्डी बांस महल सराय मण्डी चौक थाना मुगलपुरा ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई के साथ मारपीट कर ,उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से गोली मारने, जिससे वादी के भाई के पैर में गोली लगने से घायल हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना मझोला पर मु0अ0सं0-827/25 धारा-109(1),115(2),303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा मुकदमा में गोली मारने वाले आरोपी को दिनांक 02.09.2025 को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आज दिनांक 03.09.2025 को आरोपी की पिस्टल ले जाने वाले प्रकाश में आये आरोपी सतीश पुत्र जीवाराम निवासी सेक्टर 02 बुद्धि विहार थानामझोला जनपद

मुरादाबाद को एक पिस्तौल .32 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में मुकदमा उपरोक्त में धारा-317(2) BNS व 25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार आरोपीः-

सतीश पुत्र जीवाराम निवासी सेक्टर 02 बुद्धि विहार थानामझोला जनपद मुरादाबाद

बरामदगीः-

पिस्तौल .32 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 श्री अर्जुन सिंह थाना मझोला,मुरादाबाद।

उ0नि0 श्री लोकेन्द्र सिंह थाना मझोला,मुरादाबाद।

का0 रवि तोमर थाना मझोला,मुरादाबाद।

का0 दीपक तोमर थाना मझोला,मुरादाबाद।

3.जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी तथा शांति व्यवस्था भंग करने में 05 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी तथा 05 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

वारंटीः-

थाना ठाकुरद्वाराः-

शिवा पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम सुरजननगर थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद सम्बन्धित मुकदमा न0-5642/2021 अ0स0 709/2020 धारा – 60आबकारी अधिनियम व 272 भादवि

थाना मैनाठेरः-.

कल्लू पुत्र नन्नू निवासी ग्राम मसेबी थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद सम्बन्धित मा0न्यायालय ए0सी0जे0(एस0डी0) न्यू कोर्ट नं0 01 मुरादाबाद द्वारा निर्गत एनबीडब्लू व धारा 82 सीआरपीसी मु0सं0 1437/14 अ0सं0 16/13 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट चा0थाना मैनाठेर

शांति व्यवस्था भंग के आरोपीगण विवरणः-

थाना गलशहीद-02,थाना मैनाठेर-01,थाना कांठ-01,थाना बिलारी-01